15

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक : एफ17(8)13/डीईएस/रा.ज.आ.यो./वि. यो./2019/ दिनांक :13.10.2020

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/आयुक्त/विभागाध्यक्ष,

....

विषयः—राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोडने बाबत।

महोदय/महोदया,

जैसाकि आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2019—20 के परिवर्तित बजट में राज्य में ''विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्‌देश्य से "एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान" की विचारधारा के प्रभावी क्रिन्यान्वयन के लिए ''राजस्थान जन आधार योजना'' की घोषणा की गई है। ''राजस्थान जन आधार योजना'' को राज्य में एक फ्लेगशिप योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। राजस्थान जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 दिनांक 18.12.2019 से राज्य में लागू किया जा चुका है और उक्त अधिनियम के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है।

केन्द्रीय आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार केन्द्र एवं राज्य की समेकित निधि से दिए जाने वाले लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के लिए आधार अधिप्रमाणन आवश्यक है। उक्त केन्द्रीय आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 तथा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 3, 4 एवं 14(1) की अनुपालना में राज्य में जिन लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ केन्द्र/राज्य की समेकित निधि से दिये जाते है, के लिए आधार और/या जन—आधार का अधिप्रमाणन की आवश्यकता हेतु ऐसी योजनाओं को अधिसूचित किया जाना और जन आधार प्लेटफार्म से जोडा जाना है।

इस हेतु आपके विभाग की वर्तमान में संचालित ऐसी योजनाओं की सूचना संलग्न प्रारूप में दिनांक 26.10.2020 तक भिजवाये जाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
और GOI परिपत्र
दिनांक 25/11/19

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक : एफ17(8)7 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / कार्ड वितरण / 2020 /   दिनांक :13.10.2020

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Proforma

Name of Administrative Department प्रशासनिक विभाग का नाम :– ....

S. No. क्रम सं.	Name of Scheme	योजना का नाम	Funding pattern Ratio वित्त पोषण अनुपात		Type of Benefits Transfer लाभ हस्तांतरण का प्रकार		Brief Discription of the Scheme योजना का संक्षिप्त विवरण (विस्तृत विवरण संलग्न करे)	Present System of Transfer of Benefits लाभ हस्तांतरण की वर्तमान प्रक्रिया	Is any software application /portal is functional/in process/no IT tool available क्या लाभ हस्तांतरण का कोई एप्लीकेशन या पोर्टल है	Name of the URL URL का नाम	Remarks टिपण्णी	Name, Designation and Mobile number of the Officer Incharge योजना के प्रभारी अधिकारी का नाम, पद व मोबाईल नम्बर
	(In English)	(हिन्दी में)	State Fund राज्य निधि	CSS केन्द्रीय निधि	Cash Benefit नकद लाभ	Non Cash Benefit गैर नकद लाभ			Yes/ No			